कार्यालय नगर पंचायत, बासुकिनाथ

अतिअल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना

संख्या-03/2018-19

नगर पंचायत, बासुकिनाथ अंतर्गत निम्नाकित कार्य हेतु दर निविदा सीलबंद लिफाफा में दिनांक 05-07-2018 को नगर पंचायत, बासुकिनाथ कार्यालय में अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट समिति, नगर पंचायत, बासुकिनाथ के समक्ष दिनांक 06-07-2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा। जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	दर	अग्रधन
1	Spiral LED lights Installation in Electricity Pole under Nagar Panchayat Area with all complete fiting and fixing only for Shrawani Mela 2018 to Bhadrapad Mela 2018.	**निविदाकार को सामग्री से संबंधित दर सभी करों सहित प्रति पोल अंकित करना होगा।**	`20000/-

- : निविदा की शर्तें : -

1) दर निविदा एक बंद लिफाफें में जिसके उपर कार्य का नाम सूचना संख्या इत्यादि अंकित कर डालना अनिवार्य होगा।
2) निविदादाताओं को निविदा के साथ उपरोक्त निर्धारित सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बासुकिनाथ के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, बासुकिनाथ शाखा पर देय जमा करना अनिवार्य होगा।
3) निविदा के साथ निविदादाता को निबंधन प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिर्टन, पेनकार्ड, अधिकृत विक्रेता/निर्माता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4) निविदादाता को कम से कम 20 रूपये के स्टाम्प पेपर में अपने प्रतिष्ठान/कम्पनी के काली सूची में नहीं होने तथा रूग्न अवस्था में नहीं होने एवं हर प्रकार के आरोपों एवं सभी प्रकार के सरकारी जाँचों से मुक्त होने संबंधी शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा।
5) उपरोक्त कार्य दिनांक 26.07.2018 से दिनांक 26.09.2018 तक के लिए होगा। इस अवधि में यदि सामनों में गडबडी पाई जाती है तो उसे सूचना प्राप्ति पर तुरंत बदलना होगा या ठीक करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। आवंटित कार्य निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरांत ही जमा अग्रधन राशि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता को किया जाएगा।
6) स्वीकृत दर पर आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर कनीय अभियंता के निरीक्षण में अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा जिसका अलग से भाडा देय नहीं होगा। कार्य समाप्ति सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।
7) विपत्रों से काटी जाने वाला 5 प्रतिशत सुरक्षित राशि एवं अग्रधन की राशि का भुगतान गारंटी अवधि के पश्चात कार्य के संतोषप्रद होने की स्थिति में किया जाएगा।
8) निविदा की तिथि/समय में परिवर्त्तन करने या बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सूरक्षित होगा।
9) विशेष जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
10) खराब सामग्री आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ता स्वयं जिम्मेवार होगें ऐसी स्थिति में उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा।
11) सभी सामग्रीयों का रखरखाव/मरम्मति श्रावणी मेला एवं भाद्रपद मेला के दौरान करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार को कोताही करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
12) सफल निविदादाता को मेला अवधि में एक टीम का गठन कर सभी लाईट्स का सुचारू रूप से Switch ON and Switch OFF कार्य कराना अनिवार्य होगा।
13) सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14) कनीय अभियंता के कार्य संतोषप्रद होने के प्रमाण पत्र देने के पश्चात ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
15) उपरोक्त कार्य केवल अधिष्ठापन कार्य है। कार्य संतोषप्रद पूर्ण होने के उपरांत निविदादाता सामग्री सभी विद्युत पोलों से स्पाईरल लाईट्स हटा सकेंगें।
16) सफल निविदादाता को जिला प्रशासन के अधिकारीयों/नगर पंचायत, बासुकिनाथ के पदाधिकारीयों के द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बासुकिनाथ।
26/6/18